संशसं09 / आ0–4–08 / 2016

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, बेगुसराय के पत्रांक 1328 दिनांक 28.03.2006 एवं जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक– 1214/गो0 दिनांक– 30.03.2006 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ0 जहिरुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, देवपुरा, बखरी, बेगुसराय दिनांक–27.07. 2000 से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित है। इन आरोपो के लिए डा0 हक के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1376(9) दिनांक 28.12.2006 एवं 1348(9) दिनांक– 12.11.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप को इस आधार पर प्रमाणित पाया कि आरोपित पदाधिकारी विभागीय कार्रवाई के क्रम में न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कोई बचाव बयान समर्पित किया गया।

3. प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डा0 हक से द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसका प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी अप्राप्त है।

4. डॉ0 जहिरुल हक के विरुद्ध 05 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, अतएव उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त की गई।

अतः डॉ0 जहिरुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, देवपुरा, बखरी, बेगुसराय को वर्ष 2000 से लगातार पॉंच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डॉ0 जहिरुल हक एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह0) 2.1.17

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 137(9) / स्वा0, पटना , दिनांकः 2/02/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी बेगूसराय / क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर / सिविल बेगूसराय / सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ0 जहिरुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, देवपुरा, बखरी, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ह0) 2.1.17

सरकार के अवर सचिव